

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

114/2017 प्राचीनपत्र

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
Web Copy - Not Official

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

आगत अंतरिम अध्यापी निवेदनानुसार
सुनी राणी खाद बहार मूलन
न्यापहित से पनावली का
अवलोकन किया गया। अतः
हम उचित प्रमाणों से कि
दोनों पक्षों को आगामी
नगरीय पंचायत अंतरिम
अध्यापी निवेदनानुसार 11 पाठ्य
किया जाता है कि वे आगामी
क्र. 936, 1239, 1230, 1252
0.30, 0.62, 0.21, 0.08

1253, 1257, 802 एवं 800
0.18, 0.05, 0.42, 0.31

भूमि वाले गांव जयसिंदपुर
नदलील विभाग की सेवा
की अध्यापी निवेदनानुसार
पनावली कासे पंचायत जयपुर
जयपुर व जयपुर रजिस्ट्रार
पनावली (सीड थैल अध्यापीगत)
दिनांक 20610 को पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

20610 पनावली राजस्य लोक
आदालत न्याय आदालत 2017
2010 केस जयसिंदपुर में पंच
हुइ। प्राचीन स्वयं उपखण्ड।

अध्यापी अध्यापी के जवाब अध्यापी
पत्र अध्यापी के पंच किया



फर्द अहकाम
कन्हैयालाल vs बनाम

उत्तराधकारी

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

114/2017

पार्श्वनाथ

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------	---------------------------	----------------------	-------------



किया गया। उत्तरपक्ष का जमाना को
सुना गया तथा पक्षों की अव-
लोकन किया गया। बाद में
भगत प्रकाश मूलकांड के मुद्दों
पर व्यापपूर्ण विस्तारण सब दोगो
पक्षों को ता फैसला मूलकांड उत्तरपक्षी
विषय पर पीठ किना जा रहा है कि वे मुक्ति
खण्ड 936/0-30, 1239, 1230
0-62, 0-21।
1252, 1253, 1257, 882
0-08, 0-10, 0-05, 0-42 एवं
880 एवं वाके गांव सुपरीसिद्ध
0-31 नहील विमान की गांवा व
राजस्थान सरकार की थकीलाने
बनाये रखे। प्रकाश फैसला
आपके लोका नभर सुकत हो।
निर्णय भजमा ए गांवा के मय
जमाने में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)